



SMFG
IndiaCredit
Pragati Ki Nayi Pehchaan

पते के प्रमाण के लिए माना गया ओवीडी



आवेदकों को अपना वर्तमान पता बताने वाला पता प्रमाण (जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि) पेश करना जरूरी है। सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रतियां या आधिकारिक रूप से माना गया दस्तावेज (ओवीडी) दिखाना होगा। यदि ग्राहक के पास उपलब्ध ओवीडी में वर्तमान पता नहीं दर्शाया गया है, तो नीचे दिए गए दस्तावेजों (या उनके डिजिटल संस्करण) में से किसी एक को पते के सत्यापन के लिए माना गया ओवीडी माना जाएगा।

- किसी भी सेवा देने वाला का उपयोगिता बिल (बिजली, पाइपड गैस, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल, या पानी), जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो
- नवीनतम संपत्ति कर या नगरपालिका कर रसीद
- किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), बशर्ते उसमें पते का विवरण हो
- केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक या नियामक निकायों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों या सूचीबद्ध कंपनियों के नियोक्ता द्वारा जारी आधिकारिक आवास आवंटन पत्र। ऐसे आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले नियोक्ता द्वारा किया गया अवकाश और लाइसेंस समझौता भी स्वीकार्य है।

यदि आवेदकों ने पते के प्रमाण के रूप में केवल उपर्युक्त दस्तावेज ही प्रस्तुत किए हैं, तो उन्हें तीन महीने के भीतर वर्तमान पते के साथ आधिकारिक रूप से माना गया दस्तावेज (ओवीडी) प्रस्तुत करने होंगे।